रजिस्टी सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 4, 1972/वैशाख 14, 1894
No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 1972/VAISAKHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 4th May 1972

S.O. 332(E)/15/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Lord Krishna Textile Mills, Saharanpur, for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Shri K. K. Dhar, Chairman & Managing Director, National Textile Corporation, New Delhi.

Member

(2) Shri G. S. Sial, Chairman, Director, U. P. State Textile Corporation, Kanpur.

Member-Secretary

(3) Shri G. A Sheth, Deputy Director, Regional Office of the Textile Commissioner, Kanpur.

[No. F. 3/2/72-c.u.c.]
K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1972

का० आ० 332(अ)/15/आई०डी०आर०ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :–

अध्यक्ष

(1) श्री के०के० धर,
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।

सदस्य

(2) श्री जी०एस० मियाल,
अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम,
कानपुर ।

सदस्य-सचिव :

(3) श्री जी०ए० सेठ,
निदेशक,
वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर ।

[सं० फा० 3/2/72–सी०यू०सी०]

के० एन० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972